भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पालीटेकनिक स्कीम योजना।

1. यह योजना भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित है । इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के निवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिये स्थानीय आवश्यकतानुसार अल्पकालीन रोजगारपरक व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यकमों द्वारा लाभ पहुँचाना है।

2. वर्ष 2009–10 में वर्तमान स्थिति 88 संस्थाओं का प्रस्ताव भेजा गया जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 83 (राजकीय/सहायता प्राप्त) ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा एप्रूव्ड संस्थाओं को योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है और 53 संस्थाओं को रू0 6.00 लाख अनावर्तक एवं रू0 4.25 लाख आवर्तक अनुदान प्रत्येक संस्था को स्वीकृत की गई है जो भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं के बैंक एकाउन्ट्स में सीधे अन्तरित की गई है । वर्ष 2010–11 में 06 संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस प्रकार अब 57 संस्थाओं में योजना स्वीकृत है और संचालित हो रही है तथा 23 संस्थाओं में योजना स्वीकृति हेतु भारत सरकार से निरन्तर प्रयास जारी है ।

योजना का उद्देश्य निम्नवत् है :–

1. स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ।
2. डिसिमिनेशन एण्ड एप्लीकेशन आफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलाजी ।
3. टेक्निकल एण्ड सपोर्ट सर्विसेज ।
4. एवेयरनेस प्रोग्राम्स एबाउट टेक्निकल एडवांसमेंट ।

इस योजनान्तर्गत मदवार निम्नलिखित लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित है :–

1. Short term non formal skill development courses 600 trainees p.a
2. Technology Transfer activitties-05 Technologies with at least 50 beneficiaries p,a
3. Minimum 5 Technical and Support services camps per annum per polytechnic.
4. Extension Centres to be established-05-10 locations.

3. भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार सी0डी0टी0पी0 योजनान्तर्गत आच्छज्ञदित प्रत्येक संस्था द्वारा एन0आई0टी0टी0टी0आर0, चण्डीगढ (राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ) से एप्रूव्ड एनुअल आपरेशन प्लान के अनुसार योजना कार्यान्वित किये जाने का प्राविधान है । योजना को नार्मस एवं गाइड लाइन भारत सरकार द्वारा फरवरी 2009 में जारी की गई है जिसका विवरण भारत सरकार के Web Site पर उपलब्ध है ।

प्रशिक्षण केन्द्रों को खोला जाना :–

स्थानीय स्तर पर गावों का सर्वे करके स्थानीय आवश्यकता एवं रोजगार परकता के दृष्टिगत प्रशिक्षण कार्यकमों का चुनाव किया जाता है और 06 माह की अवधि के Need Based प्रशिक्षण कार्यकम चलायें जाते है।

ट्रान्सफर आफ टेक्नोलाजी और टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज का प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम, ट्रान्सफर आफ एप्रोपिएट टेक्नोलाजी/टेकनिकल सर्पोट सर्विसेज का कार्य कराया जाता है । माह में एक/दो दिन गॉव वालों को प्रशिक्षण केन्द्र पर एकत्रित करके या गॉव भेजाकर एप्रोपियेट टेक्नो अपनाने और टेकनिकल

सपोर्ट सर्विसेज के वारे में जानकारी दी जाती है और ग्रामीणों को उसके लाभ से अवगत कराते हुए अपनाने की प्रेरणा दी जाती है ।

प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त थर्ड पार्टी एसेसमेंन्ट एवं प्रमाण–पत्र का दिया जाना :–

शासनादेश द्वारा अब प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उनकी परीक्षासंस्था पर न कराकर Third Party Assesment की व्यवस्था की गई है इसके लिए संस्था प्रधानाचार्यो द्वारा परीक्षकों की मॉग आई0आर0डी0टी0 से परीक्षण कार्यकम पूर्ण होने से 01 माह माह पहले की जायेगी । परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यॉकन के आधार पर संस्था प्रधानाचार्य द्वारा Certificateion की कार्यवाही पूर्ण कर उत्तीर्ण को प्रमाण–पत्र दिया जायेगा ।

कमशः.....2//

संस्था स्तर पर तथा प्रशिक्षण केन्द्रों पर योजना कार्यो का रिकार्ड रखा जाना :–

सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर उपस्थिति पंजिका, कच्चा माल की प्राप्ति व उपयोग, ट्रान्सफर आपफ टेक्नोलाजी तथा टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज के अन्तर्गत किये गये कार्यो का व्यौरा पृथक–पृथक रजिस्टर पर रखा जायेगा और उसमें सम्पूर्ण विवरण तथा लाभर्थियों के विवरण रखे जायेगों । संस्था स्तर पर भी ये विवरण प्रसार केन्द्रवार रखे जायेगों । इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण छात्रों का प्रशिक्षण कार्य कमवार प्रमाण–पत्र वितरित करने का विवरण भी एक अलग रजिस्टर पर अंकित किया जायेगा ।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक सूचनाओं का प्रेषण :–

प्रत्येक CDTP द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मासिक/त्रैमासिक सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाती है । NITTTR को प्रत्येक त्रैमास के अन्त में निर्धारित त्रैमास पर त्रैमास समाप्ति के अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के निर्देश है ।

O-Plan-प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में NITTTR के मार्गदर्शन में निर्धारित प्रारूप पर अगले का O-Plan तैयार कराया जाता है । O-Plan की एक प्रति निदेशालय और एक प्रति NITTTR को उपलब्ध करायी जाती है । एन0आई0टी0टी0टी0आर0 से अनुमोदन के अनुसार योजना कार्यो का सम्पादन किया जाता है ।

साज–सज्जा उपकरणों/कच्चा माल का कय :–

भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्राविधानित सीमा के अन्तर्गत उपकरण साज–सज्जा कच्चा माल का कय उत्तर प्रदेश सरकार के कय नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ।

यू0सी0/इस्टेटमेंन्ट आफ एकाउन्ट/PAR का प्रेषण :–

प्रत्येक संस्था को वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आवर्तक/अनावर्तक अनुदान की व्यय की उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस्टेटमेंन्ट आफ एकाउन्ट तथा PAR (वार्षिक भौतिक प्रगति) निर्धारित प्रारूप पर अगले वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक एन तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना होता है । इसके अभाव में भारत सरकार द्वारा अनुदान की अगली किस्त स्वीकृत नही की जाती है । अतः इस विषय में अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि अनुदान के अभव में संस्था कार्य वाधित न हो ।

स्टाफ की नियुक्तिः–

भारत सरकार की गाइड लाइन में प्रत्येक CDTP हेतु गेस्ट ट्रेनर और अन्य स्टाफ की कान्ट्रेक्ट आधारित नियुक्ति प्राविधानित है और कुछ स्टाफ संस्था स्तर पर मानदेय के आधार पर रखे जाने का प्राविधान है जिन्हें गाइड लाइन में निर्धारित सीमा तक मानदेय का भुगतान किया जाता है।